फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री रितुराज सिंह राठौड़ निवासी 371 मार्ग 19 बी रोड़, न्यू बीजेएस कॉलोनी, जोधपुर जिला जोधपुर — **अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी, भू—अभिलेख अनुभाग राजसमन्द

— **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 64/2025**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 08.09.2025 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी, भू—अभिलेख अनुभाग राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी, भू—अभिलेख अनुभाग राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी, भू—अभिलेख अनुभाग राजसमन्द से जरिये पत्र क्रमांक :— प 14 ( ) रेकॉर्ड/भू0अ0/25/7695 दिनांक 31.07.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर महो0 राजसमन्द द्वारा उनके पत्र क्रमांक एफ 1( ) सू0अ0 05/206/518 दिनांक 30.06.2025 का पत्र इस कार्यालय को दिनांक 01.07.2025 को प्राप्त हुआ, उसकी पालना में वांछित सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने से इस कार्यालय के पत्र क्रमांक प 14 ()भू—अ0/24/6679 दिनांक 01.07.2025 श्रीमान लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर महो0 राजसमन्द को मूल ही प्रार्थना पत्र अग्रिम कार्यवाही करने हेतु प्रेषित किया गया। इस कार्यालय द्वारा ओर कोई सूचना दिया जाना कार्यालय स्तर से शेष नही है। नियत अवधि में पत्र प्रेषित कर दिया गया। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रथम अपील संख्या 64/2025 निरस्त फरमाया जावे। उक्त क्रम में इस कार्यालय द्वारा लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द को सूचना उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट भिजवाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये पत्र क्रमांकः एफ.1( ) सू0अ0,05/2025/756 दिनांक 27.08.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अपीलान्ट का आवेदन पत्र सूचना के अधिकार अधिनियम, 05 के तहत इस कार्यालय को 26.06.2025 को ऑनलाईन पोर्टल पर प्रस्तुत किया गया। आरटीआई आवेदन में ईप्सित सूचना अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध इस कार्यालय से नहीं होकर भू—अभिलेख अनुभाग कार्यालय हाजा की होने से इस कार्यालय द्वारा प्रार्थी अपीलार्थी का आरटीआई आवेदन कार्यालय के जरिये पत्रांक 518—19 दिनांक 30.06.2025	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

से संबंधित कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 6(3)(1)(2) में प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख अनुभाग कार्या हाजा को अन्तरण करते हुए जरिये डाक प्रेषित करते हुए प्रार्थी को भी प्रति पृष्ठांकित की जाकर जरिये डाक प्रेषित की गई। प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख अनुभाग के पत्रांक 6679 दिनांक 01.07.2025 से अवगत कराया कि प्रार्थी के आवेदन में अंकित बिन्दुओं की सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं है एवं इस अनुभाग द्वारा भी प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना को खोजने का प्रयास किया किन्तु सूचना के संबंध में इस कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार वांछित सूचना से संबंधित नियम, कानून व सर्कुलर उपलब्ध नहीं है। इस हेतु प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 547 दिनांक 04.07.2025 से सूचित किया गया। अतः प्रार्थी के आरटीआई आवेदन में ईप्सित सूचना के संबंध में प्रार्थी को निश्चित समयावधि इस कार्यालय के पत्रांक 547 दिनांक 04.07.2025 से सूचित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट एवं लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख अनुभाग राजसमन्द तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार (वांछित सूचना से संबंधित नियम, कानून व सर्कुलर) उपलब्ध नहीं है। इस बाबत लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द के द्वारा जरिये पत्रांक 547 दिनांक 04.07.2025 से प्रार्थी को सूचित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द द्वारा उक्त संबंध में अपीलार्थी को सूचित किये जाने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख अनुभाग राजसमन्द तथा लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)